

तारीख हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज
राधवर्देव आर्कि Vx कीर्तिवर्धन सिंह आदि पु.दे.

219/2014

16.2.18

पत्रावली पेश हुई। बकालाय उप
आपने पीतल किर्तिवर्धन सिंह पर
कार्रवाई करवा
पत्रावली उपरोक्त आदेशों
दिनांक 20-4-18 को पेश हो

20/18

पत्रावली पेश की गई अदालत अग्नि
न्याय अदालत द्वार 2018 में रखे जाने
योग्य समझे जाने पर कैम्प स्थल अदालत
उप केंद्र ठिकरिया में पेश है। 13.06.2018

13⁰⁶/₁₈

पत्रावली आज राजम लोक अदालत अग्रियनः
नाम आपसे द्वारा कार्यक्रम 2018 के लदन
कुम्भ स्थल अदालत सेवा केंद्र, ठिकरिया
में पेश हुई। वकील वादीगण उपस्थित।
पत्रावली का अवलोकन किया गया।
पत्रावली पर उपलब्ध वसीयत लेख
दिनांक 19-07-2010 के अनुसार
एडवोकेट एम. सिंह ने प्रकरण में विवादास्पद
सिद्धि प्रमाणों में अपने हक-हितों की प्रमाण
वादीगण के नाम वसीयत कर की गई। उक्त
एडवोकेट के वारिधान्य प्रतिवादी सं. 1/18
उ ने काम लक्ष्य को वसीयत करने हेतु
विवादास्पद आराजिमान में उक्त एडवोकेट
के हक-हितों की प्रमाण वादीगण के
नाम पेश करने का काम कर में ही सम्पन्न
पेश कर दिया है। उपस्थित वादी
माध्यम से उक्त अदालत सिंह से काम
आक्षेप का कार्य पर लिया जाकर,
कि उक्त वसीयत दिनांक 19-07-2010
उक्त एडवोकेट द्वारा निष्काशित अग्रियन
वसीयत है, अग्रियन पत्रावली किया गया।

Chank
13/06/18
12/08/18

म

हुकम या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज
राधनंदन आर्य वनारस कीतीवर्धन सिंह भादि

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुकम की तालीम
में जारी हुए

आनं. उक्त रूपों से आलोक
में एवं लोक अदालत की भागना से
वादीगण का वाद लगीठार किया जाता है
नया घोषणा की जाती है कि :-



आदेश

नया ग्राम ठिकरिया (राजसिंहपुरा) की
हकि भूमि ख.नं. 1065 रकबा 2.51 है
का वादी नं. 1 को व ख.नं. 1066 रकबा
1.35 है, ख.नं. 1067 रकबा 2.53 है
ख.नं. 1061 रकबा 1.50, ख.नं. 1068 व
1069 में से 2.43 है का वादी नं. 2 को
व ख.नं. 1045 रकबा 2.72 है का वादी
नं. 3 को जातेदार कारनकार घोषित
किया जाता है तथा उक्त ख.नं.भरान से
भूतक हनुवन्तसिंह उर्फ हनुसिंह का
नाम राजान रेकार्ड से हजक किया जाता
है। उक्तानुसार राजान रेकार्ड में अमल
परामद हो लघुतुगास प्रकरण में पचाडिही
मुर्तीव हो। पचावकी फौज सुमार होकर
नम्बर से कम हो तथा वाद लक्ष्मील पञ्चिल
दफतर हो।

13/6/18
मागीरख शाख
(RAS)
सहायक कलेक्टर
(फास्ट ट्रेक) सपडेल्ला

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक), खण्डेला, (सीकर)
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट)

अज अदालत सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) मुकाम खण्डेला (सीकर)

पीठासीन अधिकारी:- श्री भागीरथ शाख, RAS

उनवान ① राघव देव * बनाम ① श्री विष्णु सिंह *

दावा वादत जोषणा व रूपाई निषेधाज्ञा

मुकदमा नम्बर :- 219/2014

निर्णय दिनांक :- 13-06-2018

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रुबरु श्री भागीरथ शाख, RAS हाजिरी

मिनजानिव मुददई रुबरु श्री राजेन्द्र कुमार मीना एडव

मिनजानिव मुददायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है और डिक्री दी जाती है कि -

तन ग्राम ठिकरिया (राजसिंहपुरा) श्री कृषि आराम एम सं
1065 250) 2.51 हे० का गद्दी नं०) को व ए० नं० 1066
रकबा 1.35 हे०, ए० नं० 1067 250) 2.53 हे०, ए० नं० 1061
रकबा 1.50 हे० सम्पूर्ण का ए० नं० 1068 व 1069 में है
2.43 हे० का गद्दी नं० 2 को व ए० नं० 1045 250) 2.72 हे०
का गद्दी नं० 3 को जालेदार का इतकार जोरित डिफा जाय *

खर्चा पक्षकारान्त अपना-अपना वहन करेंगे।

यह आज दिनांक 13.06.2018 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।



(Signature)
भागीरथ शाख
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
(RAS)
खण्डेला (सीकर)
सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) खण्डेला

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
	रुपया		रुपया
1 वाद पत्र के लिए स्टाम्प		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	
2 शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		अर्जी के लिए स्टाम्प	
3 प्रदर्शों के लिए स्टाम्प		प्लीडर की फीस	
4 रुपये पर प्लीडर की फीस		साक्षियों के लिए निर्वाह-व्यय	
5 साक्षियों के लिए निर्वाह-व्यय		आदेशिका की तामील	
6 कमिश्नर की फीस		कमिश्नर की फीस	
7 आदेशिका की तामील			
जोड़		जोड़	

✳️ पुत्र श्री कीर्ति चर्जन सिंह जाति राणपूर
निवासी ग्राम ठिकरिया नदमील खोला हाल
निं ६५-२ आनन्द मंगल अपार्टमेंट वसंतमार्ग,
वनी पार्क जयपुर (राज.)

❷ माधव देव पुत्र श्री अक्षयशर्मा सिंह
जाति राणपूर निं ग्राम ठिकरिया नदमील खोला
हाल निवासी ६२ आनन्द मंगल सिवली रोड जयपुर

❸ प्रमोददेव पुत्र श्री वसंत सिंह जाति राणपूर निवासी
ठिकरिया नदमील खोला जिला सीकर हाल निवासी
६६ शोलावन मार्ग सिवली रोड जयपुर (राज.)

- (पत्नीगण)

कुलुम्ब

✳️ पुत्र बाबुर दगुवन्त सिंह उर्फ दगुवन्त सिंह जाति राणपूर
निं ठिकरिया नदमील खोला हाल निं ६५-२ आनन्द
मंगल अपार्टमेंट वसंत मार्ग वनी पार्क, जयपुर

❶ अक्षयशर्मा सिंह पुत्र बाबुर दगुवन्त सिंह उर्फ दगुवन्त सिंह
जाति राणपूर निं ठिकरिया नदमील खोला हाल निं ४२
आनन्द नगर सिवली रोड जयपुर

❷ अशोक सिंह पुत्र बाबुर दगुवन्त सिंह उर्फ दगुवन्त सिंह जाति राणपूर
निं ठिकरिया हाल निवासी ६६ शोलावन मार्ग सिवली रोड जयपुर

❸ रिधापाल सिंह ❹ सुरेन्द्र कुमार ❺ अमोल कुमार ❻ शिखर
कुमार पुत्रगण जात्राराम गति जाट निं वानी माईवा
नम मलिचपुर नदमील खोला जिला सीकर (राज.)

❻ विरबल ❼ बलदेव ❽ गोरधन ❾ रामधन पुत्रगण बोरुवा
जाति जाट निवासी ठिकरिया नदमील खोला

❿ प्रमोदी उषा पुत्री कप्ताराम जाति जाट निवासी मलिचपुर नदमील
खोला जिला सीकर (राज.)

⓫ अमिताशी नदमीलदार खोला

- (प्रतिवासीगण)

✳️ तथा उक्त २९ नम्बरान से मूलक दगुवन्त सिंह उर्फ
दगुवन्त सिंह का नाम बाणभद्र रेकार्ड से हटाया गया
जाना है। उक्तानुसार राजा-१ रेकार्ड में अमल
प्रामाण्य हो।



मोहम्मद शायब
(RAS)
सहायक कलेक्टर
(फास्ट ट्रेक) खण्डेला